# 1 :– आदर्श आचार संहिता (Model Code Of Conduct)

चर्चा में क्यों :– निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 2024 के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू की । भारत में लोकसभा से लिए मतदान 19 अप्रैल से लेकर 01 जून तक होंगे और इसके परिणाम 4 जून को आने है.चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है .

आदर्श आचार संहिता ( Model Code Of Conduct ) होता क्या है :– चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन कराने के निर्देश दिए गए है। इन्हीं कार्यों को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया जा सके इसके लिए निर्वाचन आयोग कुछ दिशा निर्देश जारी करता है जिसको आदर्श आचार संहिता कहा जाता है आदर्श आचार संहिता किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं।

आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार करता है. जिसमें संविधान के
आचार संहिता का पालन सही से और नियमों के अंतर्गत हो रहा है या नहीं इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है. इन नियमों का पालन करना सरकार से लेकर जनता तक और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है.
आचार संहिता के समय आयोग शक्तिशाली हो जाता है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं.

आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) का विकासक्रम :–

केरल राज्य के विधान सभा चुनावों में 1960 में पहली बार आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू किया गया। 1974 में ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक "जिला स्तरीय स्थायी समिति" गठित करने का निर्देश दिया था। इसके ही अंतर्गत कलेक्टर को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई। सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल की गतिविधियों पर नजर रखने , विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए 1979 में ECI ने एक नया उपबंध शामिल किया था।

आचार संहिता और विकास के कार्य :–

जिन कार्यों को चुनावों की घोषणा से पूर्व शुरू किया जा चुका हैं वह काम जारी रहते हैं. सरकारी खर्च से जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा होता है उनसे सरकार का विज्ञापन हटाना होता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता और न ही चुनाव पूरा होने तक किसी भी लाभार्थी को मकान मिल सकता है. आचार संहिता लागू रहने तक कोई नई सरकारी भर्ती नहीं होगी. आचार संहिता लागू रहने के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर्गत गेहूं और अन्य कृषि-संबंधी उत्पादों को निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जाएगा है. जबकि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर कार्य करेंगे. साफ-सफाई और बिजली-पानी से जुड़े काम पर कोई रोक नहीं होती. सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी रहता है.

आचार संहिता लागू रहने के समय किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित थाने का सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. रात 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।
सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव प्रचार या चुनावी दौरों में इस्तेमाल करने पर रोक रहती है.सरकार न तो कोई घोषणा कर सकती है, न शिलान्यास और न ही लोकार्पण के कार्य . कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकती, जिससे जाति, धर्म या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद या घृणा फैले.

## 2- "बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल"

इस प्रोटोकॉल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है। यह प्रोटोकॉल आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार मिशन पोषण 2.0 का अभिन्न पहलू है।

प्रोटोकॉल के मुख्य घटक:

इसमें कुपोषित बच्चों के विकास की निगरानी, एपेटाइट टेस्ट, पोषण स्थिति प्रबंधन आदि शामिल हैं। एपेटाइट टेस्ट में बच्चों को शरीर के वजन के अनुसार भोजन दिया जाता है। यदि कोई बच्चा भोजन का तीन-चौथाई हिस्सा भी ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसे पोषण पुनर्सुधार केंद्र (NRC) में भेज दिया जाता है।

आवश्यक उपाय करने के बाद जो बच्चे विकास संबंधी जरूरी मानदंडों को पूरा कर लेते हैं, उन्हें बाद की देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 'बड्डी मदर (Buddy Mother ) ' पहलः इस पहल के तहत एक स्वस्थ बच्चे की माता हर हफ्ते आंगनवाड़ी केंद्र में एक कुपोषित बच्चे की माता का मार्गदर्शन करती है। 'बड्डी मदर' अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले असम में किया गया था।

● यह आहार में विविधता लाने को प्रोत्साहित करता हैं तथा भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की सलाह देता है।

भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 7.7 प्रतिशत बच्चे गंभीर दुबलेपन से ग्रस्त हैं।

## 3- हायर एजुकेशन पर आल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2022-23 जारी :

किसके द्वारा जारी :– शिक्षा मंत्रालय

रिपोर्ट का नाम :– उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (AISHE) 2022-23

इस रिपर्ट को उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ रजिस्टर्ड हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स को शामिल

करते हुए विभिन्न पैरामीटर जिनमे  स्टूडेंट के एनरोलमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर जानकारी आदि से संबंधित एक विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।

रिपोर्ट में प्रमुख विंदू:–

हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का कुल एनरोलमेंट 2014-15 में  3.42 करोड़ था।  इसमें लगभग 91 लाख (26.5%) की वृद्धि हुई जो  2020-21 में 4.14 करोड़ हो गया
वर्तमान में 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है  ।

महिलाओं का एनरोलमेंट :–

2014-15 में महिला एनरोलमेंट  1.57 करोड़ था 2014-15 के मुकाबले 2020-21 में लगभग 50 लाख (32%) की वृद्धि हुई है।  2020-21 में 2.01 करोड़ हुआ
जो वर्तमान में  बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया।

OBC स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट :–

2014-15 में 1.13 करोड़ था। 2014-15 के बाद से OBC स्टूडेंट्स एनरोलमेंट में लगभग 50.8 लाख (45%) की  वृद्धि हुई है। जो अब  बढ़कर 2021-22 में 1.63 करोड़ हो गया है।

SC स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट :–

2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में 44% की वृद्धि के साथ 2021-22 में SC स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 66.23 लाख है ।

ST स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट :–

2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर जिसमे 65.2% की वृद्धि 2021-22 में 27.1 लाख हो गया है ।

अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट :–

2014-15 में 21.8 लाख से बढ़कर जिसमे 38% की वृद्धि 2021-22 में 30.1 लाख हो गया है।

महिला अल्पसंख्यक छात्र नामांकन :–

2014-15 में 10.7 लाख से बढ़कर जिसमे 42.3% वृद्धि  2021-22 में 15.2 लाख  हो गया है।

• 2021-22 में यूनिवर्सिटी में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के मामले में :–

कंप्यूटर सेंटर 93%, लाइब्रेरी 99%, लेबरोटरी/लैब 88%, स्किल डेवलपमेंट सेंटर 71% और स्पोर्ट्स ग्राउंड 91% की मौजूदगी थी।

2021-22 में फैकल्टी/ शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है, जिनमें से लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएं हैं।

• 2021-22 के सर्वे के अनुसार, देश में रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी स्तर के इंस्टिट्यूशन्स की कुल संख्या 1,168, कॉलेजों की कुल संख्या 45,473 और स्टैंडअलोन (स्वायत्त) इंस्टिट्यूशन की कुल संख्या 12,002 है।